



आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार विधान परिषद के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक चुनाव

Posted On: 06 FEB 2017 2:41PM by PIB Delhi

आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के विधान परिषद के 10 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है जिसकी विवरणी निम्नलिखित है-

आंध्र प्रदेश

अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्यों के नाम	निर्वाचन क्षेत्रों का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
एम वी एस शर्मा	श्रीकाकुलम-विजयनगरम-विशाखापट्टनम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	29.03.2017
यान्दापल्ली श्रीमिवासुलु रेड्डी	प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	29.03.2017
डॉ गेयानंद एम	कडप्पा-अनंतपुर-कुरनूल स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	29.03.2017
बालासुब्बमण्यम विटापू	प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	29.03.2017
बाचला पुल्लियाह	कडप्पा-अनंतपुर-कुरनूल शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	29.03.2017

तेलंगाना

अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्य का नाम	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
के. जर्नादन रेड्डी	महबूबनगर-रंगा रेड्डी-हैदराबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	29.03.2017

बिहार

अवकाश ग्रहण करने वाले सदस्यों के नाम	निर्वाचन क्षेत्रों का नाम	सेवानिवृत्ति की तिथि
महाचन्द्र प्रसाद सिंह (2 दिसंबर 2015 को अयोग्य करार दिए गये)	सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	08.05.2017
अवधेश नारायण सिंह	गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	08.05.2017
संजीव श्याम सिंह	गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	08.05.2017
संजीव कुमार सिंह	कोशी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र	08.05.2017

4. अब, निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और बिहार के इन स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक चुनाव हेतु निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार चुनाव की घोषणा की है-

क्रम संख्या	मतदान कार्यक्रम	दिन और तारीख (अनुसूची)
1.	अधिसूचना जारी करने की तारीख	: 13 फरवरी 2017 (सोमवार)
2.	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	: 20 फरवरी 2017 (सोमवार)
3.	नामांकनों की संविज्ञा की तारीख	: 21 फरवरी 2017 (मंगलवार)
4.	अभ्यर्थियों का वापस लेने की अंतिम तारीख	: 23 फरवरी 2017 (गुरुवार)
5.	मतदान की तारीख	: 9 मार्च 2017 (गुरुवार)
6.	मतदान का समय	: सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक
7.	मतगणना की तारीख	: 15 मार्च 2017 (बुद्धवार)

8.	व ह तारीख जिससे पू र्व निर्वाचन प्रक्रिया : 18 मार्च 2017 (शनिवार) संपन्न हो जायेगी

5. संबंधित जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगी।

वीके/पीकेपी/वाईबी-318

(Release ID: 1481837) Visitor Counter : 6

